झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम 1948(झारखण्ड राज्य में यथा लागू) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तेहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ :-

(1.) यह अधिनियम ''झारखण्ड वित्त अधिनियम, 2022'' कहा जा सकेगा।

2. इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

3. यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत होगा।

खण्ड ''क''

2. भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 3 के प्रथम परन्तुक के अधीन अधिनियम की अनुसूची 1 ''क'' झारखण्ड राज्य के निमित्त निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी।

अनुसूची 1 'क' लिखतों पर स्टाम्प शुल्क

(देखिये धारा- 3, प्रथम परन्तुक)

संख्या	लिखतों का विवरण	उचित स्टाम्प शुल्क
1	*2*	*3*
1.	अभिस्वीकृति, किसी ऋण की रकम या मूल्य में ₹ 100/- (एक सौ रूपये) से अधिक की, जो ऋणी द्वारा उसकी ओर से किसी बही में (जो बकाए की पास बुक से भिन्न है) या किसी पृथक कागज के टुकड़े पर, साक्ष्य के निमित लिखी जाए या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो । परन्तु यह तब जब कि ऐसी अभिस्वीकृति में उस ऋण के चुकाने का कोई वचन या ब्याज देने का, या किसी माल या अन्य संपति का परिदान करने का, अनुबंध अन्तर्विष्ट नहीं है।	₹ 10/- (दस रूपये)
2.	प्रशासन-बंधपत्र, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) की धारा 291, 375 तथा 376 या गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 6 (1873 का V) के अधीन दिये गये किसी बंध-पत्र को सम्मिलित करते हुए ।	बंध पत्र (सं0 15) की तरह।
3.	दत्तक विलेख, अर्थात् कोई लिखत (वसीयतनामा से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है ।	₹ 2000/- (दो हजार रूपये)।
4.	शपथ-पत्र, उन प्रतिज्ञान या घोषणा को लगाकर जिसके मामले में विधिनुसार कोई व्यक्ति शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात है ।	₹ 20/- (बीस रूपये)

	छूटें :- शपथ पत्र या लिखत रूप में घोषणा जबकि वह- (क) इंडियन आर्मी ऐक्ट, 1911 या इंडियन एयर फोर्स ऐक्ट, 1932 के अधीन भर्ती होने के लिए शर्त के रूप में हो, (ख) 1958 के अधिनियम 2 द्वारा विलोपित । (ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन मात्र के लिए, किया गया हो।	
5.	करार या करार का ज्ञाप :-	
	(घ) किसी प्रवर्तक अथवा डेवलपर, जिस नाम से भी जाना जाय] को किसी अचल सम्पति पर/के निर्माण, विकास-कार्य, विक्रय या निवर्तन जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 अथवा इस उद्देश्य से सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो प्रभावी हो, में परिकल्पित है, के अधिकार प्रदान करने से संबंधित। नोट :- संबंधित अनुच्छेद के क, ख एवं ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।	(घ) विलेख में सन्निहित भूमि के प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो एवं जो प्रचलित व्यवसायिक मूल्य पर परिगणित किया गया हो का 2.5% (दो दशमलव पाँच प्रतिशत)
	(ड.) किसी अचल सम्पति के खरीद या बिक्री अथवा पट्टा के समझौता से संबंधित दस्तावेज जिसमें उक्त सम्पति का दखल/कब्जा नहीं दिया गया हो एवं :- (i) जब बयाना/अग्रिम/आंशिक भुगतान ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये) से अधिक न हो।	(ड.)(i) ₹ 1,000/- (एक हजार रूपये)
	(ii) जब बयाना/अग्रिम/आंशिक भुगतान ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये) से अधिक हो।	(ड.)(ii) बयाना/ अग्रिम/ आंशिक भुगतान राशि का 0.5% (शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत)।

	(च) प्रतिफल के साथ खरीद या बिक्री या पट्टा से संबंधित समझौता जिसमें सम्पति का दखल/कब्जा दिया गया हो अथवा दिए जाने की सहमति दी गई हो। व्याख्या- 1 उप-वाक्यांश (ड) एवं 'च' के उद्देश्य से झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम 2011 अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में यथा परिभाषित फ्लैट, अपार्टमेंट, टेनेमेंट (वास गृह), ब्लॉक या कोई अन्य यूनिट जिस नाम से भी जाना जाय, अचल सम्पत्ति में सम्मिलित होगा। व्याख्या- 2 अनुच्छेद (घ) के उद्देश्य से बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/ अपार्टमेंट का तात्पर्य होगा एवं इसमें सम्मिलित होगें बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/ अपार्टमेंट जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में परिभाषित किया गया है।	(च) वहीं शुल्क जो प्रतिफल अथवा सम्पति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर कनवेयांस (संख्या-23) की तरह।
	(छ) यदि पथकर अथवा शुल्क वसूली के अधिकार सहित अथवा रहित निर्माण-परिचालन एवं अंतरण पद्धति (BOT) के अंतर्गत किसी परियोजना से संबंधित हो और जहाँ संविदा का मूल्य ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) से अधिक हो।	(छ) करार के मूल्य का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) किन्तु ₹5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) से अधिक न हो तथा कम से कम ₹100/- (एक सौ रूपये)।
	(ज) यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा विनिर्दिष्ट पालन, जहां संविदा का मूल्य ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) से अधिक हो, से संबंधित हो ।	(ज) करार के मूल्य का 0.25% (शून्य दशमलव दो पाँच प्रतिशत) किन्तु ₹10,00,000/- (दस लाख रूपये) से अधिक न हो तथा कम से कम रू.

		₹250 (दो सौ पचास रूपये)।
	(झ) अन्य मामलों में।	(झ) ₹100/- (एक सौ रूपये) ।
	छुटें- (क) समझौता या समझौता का ज्ञापन जो 1958 के अधिनियम 2 द्वारा विलोपित है। (ख) केन्द्र सरकार के निविदा के रूप में या ऋण से संबंधित। (ग) युरोपीय वैगरेंसी अधिनियम, 1874 (1874 का IX) की धारा 17 के अन्तर्गत लिखित।	
6.	हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम, गिरवी या रेहन अथवा कृषि उत्पाद का बंधक जो अभिप्रमाणित नहीं से संबंधित करार अर्थात निम्नलिखित से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत :- (क) ऐसे हक विलेखों या लिखतों का निक्षेप जो सम्पति के स्वत्व का साक्ष्य हो (विपणन योग्य प्रतिभूति से अलग) जबकि ऐसा निक्षेप अग्रीम राशि के पुर्नभुगतान की प्रतिभूति के लिए किया गया हो अथवा वर्तमान ऋण या भविष्य के ऋण के लिए।	(क) प्रतिभूति राशि का 0.5% (शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत) अधिकतम ₹1,00,000/- (एक लाख रूपये)।
	(ख) जंगम सम्पति का पण्यम या गिरवी जहां कि ऐसा निक्षेप पण्यम या गिरवी उधार में अग्रिम दिये गए या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान में या भावी ऋण के चुकाएँ जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है । (ख) (i) यदि ऐसा उधार या ऋण की मांग पर या करार को साक्ष्य करने वाली लिखत की तारीख से तीन माह की अवधि के बाद वापसी भुगतेय है ।	(ख) (i) प्रतिभूति राशि का 0.5% (शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत) अधिकतम ₹1,00,000/- (एक लाख रूपये)।

	(ख) (ii) यदि ऐसा उधार या ऋण की जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर भुगतेय है ।	(ख) (ii) खण्ड (i) के अंतर्गत भुगतेय शुल्क का आधा ।
	स्पष्टीकरण :- (क) इस अनुच्छेद के खण्ड (क) प्रयोजनार्थ किसी न्यायादेश, डिक्री, किसी न्यायालय के आदेश, या किसी प्राधिकारी के आदेश से भिन्न बात के अंतर्विष्ट होने पर भी हक विलेख के निक्षेप से संबंधित कोई पत्र नोट, ज्ञापन या वर्णन जो हक-विलेखों के निक्षेप के पूर्व या किसी भी समय जब या बाद में हक-विलेख प्रभावित हो तथा जो प्रथम ऋण या किसी अतिरिक्त ऋण या पश्चातवर्ती लिए गए ऋणों के संबंध में हो, ऐसा पत्र, नोट, ज्ञापन अथवा वर्णन ऐसे हक के प्रति निक्षेप से संबंधित किसी पृथक अथवा करार के ज्ञापन के अभाव में हक विलेखों के प्रति निक्षेप से संबंधित करार पत्र को साक्ष्यित करने वाला लिखत समझा जायेगा। (ख) जब मूल विलेख यथोचित रूप से मुद्रांकित है तो उसी प्रयोजन हेतु अन्य विलेख मुद्रांक शुल्क से विमुक्त होंगे। छूटें- (i) विनिमय पत्र के साथ गिरवी पत्र।	
7.	किसी शक्ति के निष्पादनार्थ नियुक्ति	
	(क) चाहे वह न्यासियों की हो या	(क) ₹ 250/- (दो सौ पचास रूपये)।
	(ख) चाहे जंगम या स्थावर सम्पतियों की हो जब वह वसीयत से भिन्न रूप से लिखित हो	(ख) ₹ 500/- (पाँच सौ रूपये)।
8.	आंकना या मूल्यांकन- जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन से अन्यथा किया गया हो:-	
	आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी केलिए किया गया हो और जो, या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से बाध्यकारी नहीं हो-	₹ 200/- (दो सौ रूपये) ।
9.	शिक्षुता विलेख, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा लेख सम्मिलित है जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से	₹ 100/- (एक सौ रूपये)।

	संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिए रखा गया हो । छुट :- शिक्षुता लिखत, जो एप्रेंटिसेज ऐक्ट, 1850 (1850 की संख्या 19) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया गया हो या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोकपूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया हो ।	
10.	कंपनी का संगम- अनुच्छेद- (क) जहाँ कम्पनी का कोई हिस्सा पूंजी नहीं हो-	(क) ₹ 1500/- (पंद्रह सौ रूपये)।
	(ख) जहाँ कम्पनी को सांकेतिक हिस्सा पूंजी हो या हिस्सा पूंजी बढ़ाई गई हो। स्पष्टीकरणः- जब भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अन्तर्गत कंपनी द्वारा प्रस्ताव पारित कर कंपनी के संगम में संशोधन कर हिस्सा पूँजी में बढ़ोतरी की जाती है, अनुच्छेद 10 (ख) लागू होगा।	(ख) ऐसे हिस्सा पूंजी का 0.15% (शून्य दशमलव एक पाँच प्रतिशत) (न्यूनतम ₹1000/- (एक हजार रूपये)तथा अधिकतम ₹5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) ।
	छूट :- ऐसे संगम के अनुच्छेद, जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाया गया हो और जो इंडियन कम्पनीज एक्ट, 2013 के अधीन निबंधित किया गया है ।	
11.	प्रशिक्षु नियमावली या संविदा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में अटर्नी के रूप में प्रवेश के उद्देश्य से प्रथमतया एक लिपिक के रूप में कार्य करने को बाध्य है।	₹1,000/- (एक हजार रूपये)
12.	पंचाट- अर्थात किसी वाद के अनुक्रम में, न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है ।	
	(क) जहां पंचाट मौद्रिक रूप में परिगणित हो ।	(क) अधिनिर्मित सम्पत्ति के मूल्य का 0.1% (शून्य

		दशमलव एक प्रतिशत) (न्यूनतम दस रूपया)
	(ख) जहां पंचाट मौद्रिक रूप से परिगणित नहीं किया जा सकता हो ।	(ख) ₹500/- (पाँच सौ रूपये)।
15.	बंध पत्र (जैसा धारा 2 (5) द्वारा परिभाषित किया गया है) जो डिवेंचर (सं0 27) नहीं है और जो इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है । छूटें :- बंधपत्र जबकि वह किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए कि किसी पूर्त औषधालय या चिकित्सालय या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गये निजी चंदों से व्युत्पन्न हुई स्थानीय मासिक आय किसी विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ।	बंध पत्र के मूल्य का 3% (तीन प्रतिशत) परन्तु कि यदि ऐसे बंध पत्र द्वारा सम्पति हस्तांतरित हो तो कनवेंयस (सं.-23) की तरह।
17.	रद्द कर देने की लिखत, (पूर्व में निष्पादित की गई किसी लिखत को रद्द करने वाली लिखत सहित) यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है ।	₹500/- (पांच सौ रूपये)।
18.	विक्रय प्रमाण-पत्र अथवा लोक नीलाम के अनुसरण मे विक्रय पत्र (अलग लॉट मे नीलाम पर चढ़ाई और बेची गई प्रत्येक सम्पति के संबंध में) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई संपति के क्रेता के पक्ष में किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व पदाधिकारी या विधि अंतर्गत् कोई अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अथवा निष्पादित किया गया हो।	क्रय धन का 3% (तीन प्रतिशत)
20.	भाड़े पर पोत लेने की संविदा, अर्थात (कर्षवाष्प नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो।	₹100/- (एक सौ रूपये) ।
22.	प्रशमन विलेख, अर्थात किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी सम्पति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन धन	₹250/- (दो सौ पचास रूपये)।

	या लाभांश का संदाय लेनदारों के प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है ।	
23.	हस्तांतरण-पत्र (धारा 2 (10) द्वारा यथा परिभाषित) जो ऐसा अंतरण नहीं है जो संख्या 62 के अधीन प्रभारित या मुक्त हो-	लिखत में वर्णित प्रतिफल या उसके मूल्य या सम्पति का बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो का शहरी क्षेत्र में 6% (छः प्रतिशत) तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4% (चार प्रतिशत)
24.	प्रति या उद्धरण, जिसकी बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है।	₹20/- (बीस रूपये)
	छूट :- किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षित हो कि वह किसी लोक कार्यालय या किसी लोक प्रयोजन के निमित, अभिलेखार्थ उसे बनाए या दे ।	
25.	किसी लिखत का प्रतिलेख या द्वितीयक, जो शुल्क से प्रभार्य हो और जिसके संबंध में उचित शुल्क चुका दिया गया हो ।	
	(क) यदि वह शुल्क, जो मूल लिखित पर प्रभार्य है, रू. 1000/- (एक हजार रूपये) से अधिक नहीं है ।	(क) ₹50/- (पचास रूपये)।
	(ख) किसी अन्य मामले में ।	(ख) ₹100/- (एक सौ रूपये)।
	छूट :- कृषकों को दिए गये किसी पट्टे का प्रतिलेख जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से विमुक्त हो ।	
26.	सीमा शुल्क बंध-पत्र	
	(क) जहाँ रकम रू. 5000 (पांच हजार रूपये) से अनाधिक हो।	(क) ₹100/- (एक

		सौ रूपये)
	(ख) जहाँ रकम रू. 5000 (पांच हजार रूपये) से अधिक किन्तु 10,000 (दस हजार रूपये) से अनाधिक हो ।	(ख) ₹200/- (दो सौ रूपये)।
	(ग) जहाँ रकम रू. 10,000 (दस हजार रूपये) से अधिक हो -	(ग) ₹300/- (तीन सौ रूपये)।
29.	विवाह-विच्छेद की लिखत, अर्थात कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है ।	₹250/- (दो सौ पचास रूपये)।
30.	किसी उच्च न्यायालय के नामावली में अधिवक्ता या वकील के रूप में प्रविष्टि :- इंडियन बार कांउसिल ऐक्ट 1926 के अधीन या लेटर्स पेटेंट द्वारा या विधि व्यवसायी अधिनियम 1884 द्वारा ऐसे न्यायालय की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में -	₹1000/- (एक हजार रूपये)।
31.	सम्पति के विनिमय का लिखत -	वही शुल्क जो प्रतिफल राशि या बाजार मूल्य पर हस्तांतरण (सं0 23) की बाबत विनिमय के अंतर्गत बृहत्तर मूल्यवाली सम्पति के बाजार मूल्य पर आधारित हो।
33.	दान की लिखत, जो व्यवस्थापन (सं0 58) या वसीयत या अंतरण (सं0 62) नहीं है । (क) यदि दान पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्री, पुत्री के पुत्र या पुत्री, माँ, भाई, बहन, भाई के पुत्र या पुत्री, बहन के पुत्र या पुत्री, पत्नी, पति, पुत्रबधु, दामाद को दिया जा रहा हो। (ख) किसी अन्य मामलें में।	(क) दान पत्र की विषय वस्तु के प्रतिफल अथवा सम्पत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो का 3 % (तीन प्रतिशत)। (ख) दान पत्र की विषय वस्तु की प्रतिफल अथवा सम्पति के बाजार

		मूल्य जो भी अधिक हो पर वही शुल्क जो कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य हो।
	छूट :- सरकार के पक्ष में निष्पादित किसी दान-पत्र के लिखत पर मुद्रांक शुल्क में छूट वैसे मामलों में दी जाएगी जब जिला के समाहर्ता/उपायुक्त अथवा सरकार की ओर से दानग्रहिता कोई पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हों कि मुद्रांक शुल्क सरकार द्वारा देय है कि मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-3 सहपठित धारा-29 के अधीन सरकार द्वारा देय है।	
34.	क्षतिपूर्ति बंध-पत्र।	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के प्रतिभूति पत्र (सं0 57) पर लगता है किन्तु अधिकतम ₹200/- (दो सौ रूपये)।
35.	पट्टा जिसके अंतर्गत अवर पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई करार सम्मिलित है :- (क) जहाँ ऐसे पट्टा द्वारा किराया नियत है और कोई प्रीमियिम नहीं दी गयी है या नहीं परिदत्त की गई है/जहाँ पट्टा किसी जुर्माना या प्रमियिम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है और जहाँ कोई किराया आरक्षित नहीं है/ जहाँ पट्टा, आरक्षित किए गए किराया के अतिरिक्त किसी जुर्माना या प्रमियिम के लिए या अग्रिम दिए गए धन के लिए मंजूर किया गया है एवं :-	
	(i) जहाँ पट्टे की अवधि पाँच वर्ष से अनधिक है।	(i) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1 % (एक प्रतिशत)

		अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 5% (पाँच प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(ii) जहाँ पट्टे की अवधि पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक है।	(ii) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1% (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 15% (पन्द्रह प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(iii) जहाँ पट्टे की अवधि दस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से अनधिक है।	(iii) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1% (एक प्रतिशत) अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य के 25% (पचीस प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो।
	(iv) जहाँ पट्टे की अवधि तीस वर्ष से अधिक हो या शाश्वता के लिए तात्पर्यित हो या एक निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न	(iv) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय

	हो।	या परिदेय पूरी रकम का 1 % (एक प्रतिशत) अथवा संपति के बाजार मूल्य के 50% (पचास प्रतिशत) पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क, जो भी अधिक हो। परन्तु कि यदि पट्टे का करारनामा अनुच्छेद 5(ड़) अथवा 5 (च) के तहत मुद्रांकित हो तो इस पर चुकाये गये मुद्रांक शुल्क का समायोजन अनुवर्ती रूप से निष्पादित पट्टा विलेख, पर अनुच्छेद 35 (क) I, ii, iii एवं iv के तहत प्रभार्य कुल मुद्रांक शुल्क से किया जायेगा।
	(ख) खन्न पट्टा, खासमहल पट्टा या कोई अन्य पट्टा जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से निष्पादित किया गया हो।	(ख) ऐसे पट्टे की संपूर्ण अवधि में देय या परिदेय पूरी रकम का 1.5% (एक दशमलव पाँच प्रतिशत)

	छूट :- खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पाद के लिए वृक्षों का पट्टा सम्मिलित है), जो कोई जुर्माना या प्रीमियम दिये बिना या परिदत किये बिना निष्पादित किया गया है और जिसमें कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या आरक्षित किया गया औसत वार्षिक किराया रू. 100 (एक सौ रूपये) से अधिक नहीं है।	
	व्याख्या :- जहां पट्टेदार कोई आवर्ती प्रभार जैसे- सरकारी राजस्व, जमींदार के हिस्से का सेस या स्वामी के हिस्से का नगरपालिका कर या कर जो विधि के अनुसार पट्टाकर्त्ता से वसूलनीय है, अभिदाय करने का वचन देता है, वह रकम जिसे इस प्रकार अभिदाय करने का पट्टेदार द्वारा करार किया गया है, लगान का एक भाग समझा जायगा ।	
38.	अनुज्ञप्ति पत्र, अर्थात ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का काई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे।	₹ 300/- (तीन सौ रूपये)
39.	कम्पनी के संगम का ज्ञापन -	
	(क) यदि उसके साथ इंडियन कंपनीज ऐक्ट 2013 के अधीन संगम अनुच्छेद संलग्न हो	(क) ₹500/- (पांच सौ रूपये)
	(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो	(ख) ₹1000/- (एक हजार रूपये)
	छूट :- किसी भी ऐसे संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ।	
40.	बंधक विलेख जो (हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम, या गिरवी (सं0 6), बंध पत्र (सं0 15), फसल का बंधक (सं0 41), जहाजी माल बंधपत्र (सं0 56), या प्रतिभूति देय पत्र (सं0 57) से संबंधित करार नहीं है)	
	(क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट संपति या संपति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिये जाने के लिए	(क) बंधक धन का 2.5% (दो दशमलव

	करार किया गया है -	पाँच प्रतिशत)
	(ख) जब कब्जा नहीं दिया गया है या दिए जाने के लिए करार नहीं किया गया है।	(ख) बंधक धन का 1.5%(एक दशमलव पाँच प्रतिशत)
	स्पष्टीकरण :- (क) ऐसे बंधकर्ता के बारे में, जो बंधकदार को बंधकित सम्पति या उसके भाग का किराया या पट्टा राशि का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ में कब्जा देता है ।	
	(ग) जब कोई सांपश्रि्वक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपर्युक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में जहां मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक रूप में मुद्रांकित है -	(ग) अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का 1% (एक प्रतिशत)
	छूट :- वे लिखतें जो लैण्ड इम्प्रुवमेंट लोन्स ऐक्ट 1883, या एग्रीकल्चररिस्ट्स लोन्स ऐक्ट 1884 के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनकी प्रतिभूतियों द्वारा ऐसे उधारों को चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गयी है।	
41.	फसल का बंधक, जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत भी सम्मिलित है, जो फसल के बंधक पर दिए गए उधार के चुकाए जाने को प्रतिभूत करने के लिए की गई है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो-	₹50/- (पचास रूपये)
42.	नोटरी संबंधी कार्य, अर्थात कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (सं0 50) नहीं है और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए बनाई गई है या हस्ताक्षरित की गई है ।	₹10/- (दस रूपये)
43.	टिप्पणी या ज्ञापन, जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को उनके निमित्त निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है -	
	(क) ऐसे किसी माल का, जो बीस रूपये से अधिक मूल्य का है-	(क) ₹ 10/- (दस रूपये)
	(ख) ऐसे किसी स्टाक या विपण्य प्रतिभूति का, जो बीस रूपये से अधिक मूल्य का है-	(ख) 1% (एक प्रतिशत) अधिकतम ₹200/- (दो सौ

		रूपये) न्यूनतम ₹10/- (दस रुपये)
44.	पोत मास्टर द्वारा आपति का टिप्पण-	₹20/- (बीस रूपये)
45.	विभाजन की लिखत (धारा 2 (15) द्वारा यथा परिभाषित)	वही शुल्क जो ऐसी सम्पति के पृथक किये गये अंश या अंशो के बाजार मूल्य की रकम के बंध पत्र (सं0 15) पर लगता है । विशेष टिप्पणी- सम्पति विभाजित किए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान बाजार मूल्य के अंश है जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं है तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जायेगा जिससे अन्य अंश पृथक कर दिए गये हैं- परन्तु सदैव यह कि-
		(क) जब विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है जिसमें संपति को पृथक पृथक विभक्त करने का करार है और

		ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत चुकाये गये शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह 10 (दस रूपये) से कम नहीं।
		(ख) जहां भूमि, राजस्व बंदोबस्त पर ऐसी कालावधि के लिए, जो तीस वर्ष से अधिक नहीं है, धारित है, और पूरी निर्धारित राशि दी जा रही है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए मूल्य उसके वार्षिक राजस्व के पांच गुणा से अधिक परिकलित नहीं किया जायेगा।
		(ग) जहां किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन करने का पारित अंतिम

		आदेश या विभाजन करने का निदेश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित मुद्रांक से मुद्रांकित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क ₹10/- (दस रूपये) से अधिक नहीं। (घ) पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा हेतु ₹50/- (पचास रुपये) ।
46.	भागीदारी - (क) भागीदारी की लिखत-	
	(क) (i) यदि साझेदारी की पूंजी का लिखत में उल्लेख है।	(क) (i) भागीदारी के पूंजीगत मूल्य की रकम का 3% (तीन प्रतिशत) न्यूनतम ₹500 (पाँच सौ रुपये) अधिकतम ₹6000/- (छः हजार रुपये) ।

	(क) (ii) अन्य मामलों में।	(क) (ii) ₹6000/- (छः हजार रूपये)
	(ख) भागीदारी का विघटन।	(ख) ₹500/- (पांच सौ रूपये)
48.	धारा 2 (21) में यथा परिभाषित मुख्तारनामा जो परोक्षी नहीं है-	
	(क) जब वह प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 के अधीन वादों या कार्यवाहियां में अपेक्षित है-	(क) ₹100/- (एक सौ रूपये)
	(ख) जब वह एक ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए या ऐसी एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिए निष्पादित किया गया है-	(ख) ₹100 (एक सौ रूपये)
	(ग) जब वह एक या अधिक व्यक्तियां को खण्ड (ख) में वर्णित मामले से भिन्न किसी एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है ।	(ग) ₹200 (दो सौ रूपये)
	(घ) जब वह एक व्यक्ति/ व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्ततः अथवा पृथकतः, जैसी स्थिति हो, एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हो एवं :-	
	(घ) (i) यदि पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्री, पुत्री के पुत्र या पुत्री, माँ, भाई, बहन, भाई के पुत्र या पुत्री, बहन के पुत्र या पुत्री, पत्नी, पति, पुत्रवधू या दामाद को दिया गया है।	(घ) (i) ₹500 (पाँच सौ रूपये)
	(घ) (ii) यदि (घ) (i) में उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया गया हो भूमि/संपति के विक्रय/हस्तांतरण को छोड़कर।	(घ) (ii) ₹2000 (दो हजार रूपये)
	(घ) (iii) यदि (घ) (i) में उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया गया हो भूमि/संपति के विक्रय/ हस्तांतरण के लिए।	(घ) (iii) भूमि/संपति के बाजार मूल्य का 2% (दो प्रतिशत)।
	(ड.) जब किसी बिल्डर या प्रोमोटर या डेवलपर (जिस नाम से भी जाना जाय), को अंचल संपति के विकास, निर्माण या विक्रय, (किसी प्रकार से भी) हेतु दिया गया हो।	(ड.) भूमि के प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो एवं जो प्रचलित व्यवसायिक

		मूल्य पर परिगणित किया गया हो का 2.5% (दो दशमलव पाँच प्रतिशत)
	(च) जब वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है-	(च) प्रतिफल अथवा संपत्ति के बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर कनवेयांस (23) की तरह प्रभार्य शुल्क।
	स्पष्टीकरण I :- एक से अधिक व्यक्तियों की बावत उस दशा में जिसमें वे एक ही फर्म के है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति है।	
	स्पष्टीकरण II :- निबंधन शब्द निबंधन से संबन्धित समस्त आनुषंगिक कृत्य जो निबंधन अधिनियम 1908 के अंतर्गत किए गये हैं, को समाहित करता है।	
	स्पष्टीकरण III :- जहां खण्ड (च), के अंतर्गत शुल्क चुकाया गया है और तत्पश्चात उस सम्पति का मुख्तारनामा के अनुसरण में मुख्तारनामें के निष्पादक तथा जिसके पक्ष में निष्पादित किया गया है के बीच हस्तांतरण पत्र निष्पादित किया जाय, वहां हस्तांतरण पत्र पर बाजार मूल्य के अनुसार शुल्क की गणना में से मुख्तारनामे पर चुकायी गयी राशि घटा दी जायेगी ।	
	स्पष्टीकरण IV :- अनुच्छेद 48(ड.) के उद्देश्य से बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/ अपार्टमेंट का तात्पर्य होगा एवं इसमें सम्मिलित होगें बिल्डर, प्रोमोटर, बिल्डिंग/अपार्टमेंट जैसा कि झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व अधिनियम, 2011 अथवा इस संदर्भ में सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य विधि जो तत्समय प्रवृत्त हो में परिभाषित है।	
50.	विनिमय पत्र या वचन पत्र विषयक प्रसाक्ष्य अर्थात नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा जो विनिमयपत्र या वचन पत्र को अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है ।	₹50/- (पचास रूपये)।
51.	पोत के मास्टर द्वारा आपति अर्थात पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा-पत्र जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का	₹50/- (पचास रूपये)।

	परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेनेवालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिए उसके द्वारा उनके विरुद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा-पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है-	
54.	<u>बंधकित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण-</u>	बंध पत्र (सं0 40 (ख)) की तरह, अधिकतम ₹200/- (दो सौ रूपये)।
55.	<u>निर्मुक्ति, अर्थात-</u>	
	(क) कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिए धारा 23 ए द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है।	(क) निर्मुक्ति पत्र में अंकित प्रतिफल या सम्पत्ति का बाजार मूल्य (दावे का मूल्य) जो भी अधिक हो का 3% (तीन प्रतिशत) है।
	(ख) बंधक द्वारा कब्जा दिये गये अधिभार मोचन की निर्मुक्ति या पूर्व हस्तांतरित सम्पत्ति का प्रतिहस्तांतरण प्राप्त करने हेतु-	(ख) निर्मुक्ति पत्र में उल्लिखित प्रतिफल पर हस्तांतरण पत्र संख्या-23 की तरह।
56.	<u>जहाजी माल बंधपत्र</u> अर्थात कोई लिखत जो उस उधार के लिए, प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गए या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गन्तव्य पतन पर पहुँचने पर समाश्रित है।	वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के बंध पत्र (सं0 15) पर लगता है ।
57.	<u>प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख</u>, जो किन्ही पदीय कर्त्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या जो उसके आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पत्ति का लेखा जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है या किसी संविदा का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है -	बंध पत्र (सं0 15) की तरह शुल्क न्यूनतम ₹10/- (दस रूपये) अधिकतम ₹200/- (दो सौ रूपये)।

	छूटें :- बंध पत्र या अन्य लिखत जबकि वह निम्न रूप में निष्पादित किया जाय -	
	(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ कि दातव्य औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए निजी चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय मासिक आय विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ।	
	(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि सुधार उधार अधिनियम 1883 (1883 का XIX) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का XII) के अधीन अग्रिम धन लिए हैं, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में।	
	(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक निष्पादन के लिए या उनके द्वारा धारित पद के आधार पर प्राप्त धन राशि या अन्य सम्पत्ति का सम्यक रूप से लेखा सुनिश्चित करने के लिए ।	
58.	व्यवस्थापन :- (क) व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत स्त्रीधन (मेहर) विलेख है) ।	
	(क) (i) परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में व्यवस्थापन- स्पष्टीकरण :- इस अनुच्छेद के अधीन परिवार का अभिप्रेत है पिता, माता, पति-पत्नी, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री तथा इसमें पर-पिता, पर-माता, पोता, दत्तक पिता-माता एवं दत्तक पुत्र-पुत्री सम्मलित है ।	(क) (i) वही शुल्क जो व्यवस्थापित सम्पति की रकम या बाजार मूल्य के, जो भी अधिक हो की राशि पर बंधपत्र (सं. 15) की तरह।
	(क) (ii) अन्य मामलों में।	(क) (ii) उस सम्पति का बाजार मूल्य जो व्यवस्थापन का विषय वस्तु पर कनवियांस (सं. 23) की तरह।

	छूट :-विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया मेहर विलेख ।	
	(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण।	(ख) ₹500/- (पांच सौ रूपये)।
59.	द कम्पनीज एक्ट, 2013 के अधीन निर्गमित शेयर वारंट वाहक के लिए	वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर प्रतिफल या बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण पत्र (सं0 23) पर संदेय शुल्क का डेढ़ गुणा शुल्क।
	छूटें :-शेयर अधिपत्र जब वह किसी कम्पनी द्वारा द कम्पनीज एक्ट, 2013 के अनुसरण में निर्गमित किया गया है जो स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिए प्रशमन धन के रूप में निम्नलिखित की आदयगी कर दिये जाने पर प्रभावी होगा-	
	(क) कम्पनी की पूरी प्रतिश्रुत पूंजी का 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) या,	
	(ख) यदि कोई कंपनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन धन पूर्णतः चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करता है जो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) हो ।	
61.	पट्टे का अभ्यर्पण -	
	(क) जब पट्टे पर प्रभार्य शुल्क 200 (दो सौ) रूपये से अधिक नहीं है -	(क) वह शुल्क जो ऐसे पट्टे पर प्रभार्य है ।
	(ख) किसी अन्य मामले में।	(ख) ₹200/- (दो सौ रूपये)।
	छूट :-पट्टे का अभ्यर्पण, जब ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो।	
62.	अंतरण (चाहे वह प्रतिफल सहित या रहित हो)	
	(ग) किसी हित का बंधपत्र, बंधक विलेख या बीमा पॉलिसी द्वारा प्रतिभूत।	(ग) बंध पत्र (सं0 15) की तरह अधिकतम ₹200/-

		(दो सौ रूपये) न्यूनतम ₹100/- (एक सौ रूपये)।
	(घ) एडमिनिस्ट्रेटर जेनरल्स ऐक्ट 1913 (1913 का 3रा) की धारा 31 के अधीन किसी संपत्ति का अंतरण :-	(घ) ₹100/- (एक सौ रूपये)
	(ड.) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को किसी न्यास सम्पत्ति का अंतरण, बिना प्रतिफल के । नोट:-संबन्धित अनुच्छेद के 'क' एवं 'ख' मे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।	(ड.) हस्तांतरण पत्र (सं0 23) की तरह सम्पत्ति के बाजार मूल्य के लिए ।
	छूटें :-पृष्ठांकन द्वारा अंतरण :-	
	(क) जो विनिमय पत्र, चेक या वचन पत्र का,	
	(ख) वहन पत्र, परिदान आदेश, माल के लिए वारंट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का,	
	(ग) बीमा पॉलिसी का,	
	(घ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का हो ।	
63.	पट्टे का अंतरण : समनुदेशन द्वारा, न कि उपपट्टे द्वारा ।	वही शुल्क जो अंतरण के लिए प्रतिफल की रकम या बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण पत्र (सं0 23) पर लगता है ।
	छूट :-शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण ।	
64.	न्यास :-	
	(क) की घोषणा- किसी सम्पत्ति की या उसके बारे में, जब वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में की गई हो ।	(क) ₹5000/- (पाँच हजार रूपये)
	(ख) का प्रतिसंहरण किसी सम्पत्ति का या उसके बारे में, जब वह वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो।	(ख) ₹1000/- (एक हजार रूपये)।
	छूट :-पूर्त या धार्मिक न्यास, वक्फ अलअल-औलाद सहित ।	
65.	माल के लिए वारंट अर्थात ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल की सम्पत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भंडागार या घाट में या उस पर पड़ा है, जब ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी ओर से, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल हो, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है ।	₹20/- (बीस रूपये)।

टिप्पणी :- (1) मुद्रांक शुल्क की गणना करते समय जो राशि पैसे में हो उसे निकटतम रूपयें में परिवर्तित कर दिया जाय।

टिप्पणी :- (2) जहाँ कहीं न्यूनतम मुद्रांक शुल्क निर्धारित नहीं है वहाँ मुद्रांक शुल्क दस रूपयें से कम नहीं होगा।

खण्ड "ख"

बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) का संशोधन।

3. निरसन एवं व्यावृति :-

(1) बिहार मनोरंजन ड्यूटी, कोर्ट फीस तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948 (झारखण्ड राज्य में यथा लागू) की धारा-5 एतद द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम, की धारा-5 के अधीन प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

वित्तीय संलेख

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची I "क" अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विलेखों हेतु मुद्रांक शुल्क निर्धारित है। झारखण्ड गठन के उपरांत इस अनुसूची अन्तर्गत वर्णित विभिन्न विलेखों हेतु निर्धारित मुद्रांक शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है, जबकि पडोसी राज्य बिहार एवं छत्तीसगढ द्वारा बढ़ोत्तरी की जा चुकी है। मुद्रांक शुल्क राज्य के राजस्व संग्रहण का महत्त्वपूर्ण श्रोत है तथा मुद्रांक शुल्क की बढ़ोत्तरी से राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

सम्प्रति भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची I "क" में वर्णित विलेखों पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त बिहार इंटरटेंमेंट ड्यूटी कोर्ट फीस एवं स्टाम्प (सरचार्ज संशोधन) अधिनियम, 1948 की धारा–5 के अन्तर्गत 110 % (एक सौ दस प्रतिशत) सरचार्ज भी मुद्रांक के रूप में विलेखों पर प्रभार्य है। जब विभाग द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची I "क" में वर्णित विलेखों पर मुद्रांक शुल्क में बढ़ोत्तरी की जा रही है तो सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त 110 % (एक सौ दस प्रतिशत) मुद्रांक वसूली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे नागरिकों पर अत्याधिक भार पड़ेगा।

इस निमित्त विभाग द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम,1899 की अनुसूची I "क" में संशोधन करने तथा बिहार इंटरटेंमेंट ड्यूटी कोर्ट फीस एवं स्टाम्प (सरचार्ज संशोधन) अधिनियम, 1948 की धारा–5 को निरस्त करने हेतु वित्त विधेयक, 2022 गठित किया गया है, जिस पर योजना–सह–वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

भार साधक सदस्य

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022 का मूल उद्देश्य भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची I 'क' में वर्णित विभिन्न प्रकार के विलेखों पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क में बढ़ोत्तरी करना है। इस बढ़ोत्तरी से राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि की जा सकती है।

साथ ही विधेयक का उद्देश्य बिहार इंटरटेनमेंट ड्यूटी कोर्ट फीस एवं स्टाम्प (सरचार्ज संशोधन) अधिनियम, 1948 की धारा 5 अन्तर्गत 110 प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क को समाप्त करना है क्योंकि जब राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची I 'क' में वर्णित विलेखों पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क में बढ़ोत्तरी की जा रही है तो सरचार्ज के रूप में विलेखों पर अतिरिक्त 110 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क संग्रह करना आवश्यक नहीं है।

भार साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 12(A)--200--7-11-2022 I